न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 2/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :– नत्थुराम उर्फ बबलु पुत्र देवीलाल उम्र 39 जाति कुम्हार निवासी चक केरा पुलिस थाना लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर ।

––––– अपीलांट

–– बनाम ––

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

––––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलान्ट ।
श्री चतुर्भुज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 16.1.2019**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 25.9.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 26.3.2014 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी नत्थुराम उर्फ बबलु पुत्र देवीलाल उम्र 39 जाति कुम्हार निवासी चक केरा पुलिस थाना लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है तथा बिना लाइसेंसी देशी शराब रखने का आदि है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है, जिस पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकशान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुध्द कुल 2 प्रकरण आवकारी अधिनियम के दर्ज हुए हैं, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजायाब फरमाया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 27.3.14 को अपीलान्ट के निमित अनुसूची प्रपत्र–1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 3.4.14 की तारीख पेशी दी गयी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा दिनांक 25.4.14 को उपस्थित होने के पश्चात जवाब हेतु अवसर चाहा गया तथा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.9.15 को जवाब नोटिस पेश किया गया । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अभियोजन पक्ष की साक्ष्य को बन्द करते हुए दिनांक 25.9.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना कोटगेट, बीकानेर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय बीकानेर में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 25.9.2018 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि पुलिस थाना लालगढ़ जाटान जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के विरुध्द अपीलान्ट के विरुध्द राजस्थान आवकारी अधिनियम के अन्तर्गत 2 मुकदमें रंजिस वश दर्ज किये गये थे, जिनमें प्रार्थी द्वारा लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाया है तथा प्रार्थी पर जुर्माना लगाया है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 4 वर्ष की अवधि में ना तो परिवादी के एवम् नां ही स्वतन्त्र साक्षी के बयान हुए हैं । जबकि परिवाद अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा काई साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट से किसी व्यक्ति को भय हो व किसी को अपीलान्ट से अपनी सुरक्षा का खतरा हो । अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर केनद्रित होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकर फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–9–2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द कुल 2 प्रकरण आवकारी अधिनियम के दर्ज हुए हैं, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं सक्षम न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों में अपीलान्ट को सजायाब फरमाया है । अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 15.3.14 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार अपीलान्ट चोरी छिपे गांव में अवैध शराब का धन्धा करता है । अपीलान्ट आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । गांव के लोग अपीलान्ट के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुक्शान से भयभीत होने के कारण लोग इसके विरुध्द गवाही देने से डरते हैं । अपीलान्ट को न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.4.13 द्वारा मुकदमा सं0 497/12(354/12) एवं अन्य मुकदमा संख्या 496/13 अन्तर्गत धारा 19/54 आवकारी अधिनियम के अपराध में दोष सिध्द घोषित के जुर्माने से दण्डित कर 2 वर्ष तक अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं शान्ति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 26.3.14 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द आवकारी अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत निम्नलिखित 2 मुकदमे दर्ज होकर बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :–

क.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	75/12.4.13	19/54 आवकारी अधिनियम	11.11.13	सजा 800/– जुर्माना
2	126/22.6.12	19/54 आवकारी अधिनियम	22.4.13	सजा 1850/– जुर्माना

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

9. क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

10. राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को जिला बदर करने के लिए उपरोक्त तीनों स्थितियों का एक साथ विद्यमान होना आवश्यक है । प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट के विरुध्द राजस्थान आवकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 के अधीन 2 अभियोग दर्ज हुए हैं तथा न्यायालय में चालान पेश होने पर उसे दोष सिध्द

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

घोषित कर परिवीक्षा का लाभ देते हुए उस पर क्रमशः 800 व 1850 रुपये जुर्माना लगाया गया है । अपीलान्ट के विरुध्द दो मुकदमे दर्ज होने एवं दोष सिध्द होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 ख(iii) के अनुसार वह गुण्डे की परिभाषा में तो आता है, किन्तु अपीलान्ट के विरुध्द दर्ज किये गये दोनों अभियोग वर्ष 2012–2013 के हैं तथा उक्त दोनों अभियोगों में न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 22.4.13 व 11.11.13 को उसे दण्डित भी किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुधरने का अवसर देते हुए धारा–4 आपराधिक परिवीक्षा का लाभ देते हुए अभियोजन खर्च का जुर्माना लगाया गया है । प्रकरण में अपीलान्ट के विरुध्द जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 26.3.14 को 4 माह 15 दिवस पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 25.9.2018 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड क–ख–ग में निर्दिष्ट तीनों शर्ते पूरी होने के आधार पर उसे गुण्डा घोषित कर जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काशित किया गया है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलान्ट की गतिविधियों से लोगों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न होने एवं अपीलान्ट के विरुध्द साक्ष्य देने से डरने के सम्बन्ध में रपट रोजनामचा के अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा पुलिस थाना लालगढ जाटान में अपीलान्ट के विरुध्द आर्थिक नुक्शान पहुंचाने व लोगों को डराने का कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है ।

11. इसके अतिरिक्त राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम में गुण्डों को निष्कासन के लिए धारा 2 के खण्ड ख के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ होना आवश्यक शर्त है । प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा आवकारी अधिनियम की धारा 19/54 के अन्तर्गत किये गये दो मुकदमों में न्यायालय द्वारा वर्ष में 2013 में परिवीक्षा का लाभ देते हुए सजायाब किया जा चुका है तथा न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट को सुधरने का अवसर दिया गया है । अपीलान्ट के विरुध्द वर्ष 2013 के पश्चात कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया जाता है । अपीलान्ट द्वारा पूर्व में किये गये अपराध 5 वर्ष पूर्व के हैं । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 25–9–2018 में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि अपीलान्ट अभी भी आपराधिक कृत्य में लगा हुआ है ।

12. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को गुण्डा घोषित कर 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासन के आदेश दिये गये, को स्थगित किया जाता है एवम् प्रकरण अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के सम्बन्ध में गुण्डा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 ख(i) (ii) व ग में वर्णित निष्कासन की आवश्यक शर्तो का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जावे कि अपीलान्ट की गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ? क्या अपीलन्ट वर्तमान में किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ? क्या साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ? उक्त शर्तो का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नियमानुसार पुनः आदेश पारित किया जावे ।

13. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर